



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012021-224757  
CG-DL-E-28012021-224757

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942

No. 42]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 51(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016, अनुसूची II में, -

(क) तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबंधित-भाग क में, प्रथम कॉलम में आने वाली "बिहार" प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

## "बिहार

मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
अध्यक्ष सह सदस्य, राजस्व मंडल	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
अपर मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
प्रधान सचिव, (वित्त)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव, (गृह)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव, सतर्कता विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव, जल संसाधन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव, उद्योग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-मुख्य-निर्वाचन अधिकारी, बिहार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान आवासीय आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
मुख्य जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासनिक विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
राज्यपाल के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
सरकार के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, संसदीय कार्य विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, कृषि विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आवासीय आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सदस्य, राजस्व बोर्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राज्यपाल के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्यमंत्री के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, ऊर्जा विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
संभागीय आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, भवन निर्माण विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, पीएचई विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

सचिव, पंजीयन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

(ख) वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों से संबंधित भाग ख में, तालिका में बिहार के अधीन आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

" विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर/अपर जिला मजिस्ट्रेट
पंजीयक, सहकारी समितियां
सचिव, राजस्व बोर्ड
राज्य परिवहन आयुक्त
श्रम आयुक्त
गन्ना आयुक्त
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह नगरपालिका आयुक्त, पटना नगर निगम
आयुक्त, मनरेगा
आईजी, पंजीयन
निदेशक
आईजी, जेल और सुधारक सेवाएं"

[फा. सं. 11031/02/2019-अ.भा.से.-II (ख)]

संदीप कुमार सिन्हा, अवर सचिव

**टिप्पणी :** प्रधान नियम, तारीख 08 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि.सं. 870 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या तथा तारीख को संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	1062 (अ)	10.11.2016
2.	1178(अ)	27.12.2016
3.	1194(अ)	30.12.2016
4.	575(अ)	12.06.2017
5.	1382(अ)	10.11.2017
6.	1429(अ)	17.11.2017
7.	1585(अ)	22.12.2017
8.	566(अ)	15.06.2018
9.	819(अ)	28.08.2018

10.	1124(अ)	16.11.2018
11.	1222(अ)	19.12.2018
12.	218(अ)	13.03.2019
13.	766(अ)	09.10.2019
14.	813(अ)	30.12.2020

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

**(Department of Personnel and Training)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2021

**G.S.R. 51(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Bihar hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2021.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,—  
(a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry “**Bihar**” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

**“Bihar**

<b>Chief Secretary</b>	Level 17 in the pay matrix
<b>Chairman-cum-Member, Board of Revenue</b>	Level 17 in the pay matrix
<b>Development Commissioner</b>	Level 17 in the pay matrix
Additional Chief Secretary	Level 17 in the pay matrix
Principal Secretary (Finance)	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary (Home)	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary, Vigilance Department	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary, Water Resources	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary, Revenue & Land Reforms	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary, Industry	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary, Education Department	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary, Election Department-cum-Chief Electoral Officer, Bihar	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary, Road Construction Department	Level 15 in the pay matrix
Director General, Bihar Institute of Public Administration & Rural Development, Patna	Level 15 in the pay matrix
Principal Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi	Level 15 in the pay matrix

Principal Secretary to Chief Minister	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary, General Administrative Department	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary, Health Department	Level 15 in the pay matrix
Chief Enquiry Commissioner, General Administrative Department	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary to Governor	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary	Level 15 in the pay matrix
Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Disaster Management Department	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Parliament Affairs Department	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Agriculture Department	Level 14 in the pay matrix
Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi	Level 14 in the pay matrix
Member, Board of Revenue	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Governor	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Chief Minister	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Food & Consumer Protection Department	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Energy Department	Level 14 in the pay matrix
Divisional Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Science & Technology Department	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Building Construction Department	Level 14 in the pay matrix
Secretary, PHE Department	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Registration, Excise & Prohibition Department	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Cabinet Secretariat Department	Level 14 in the pay matrix

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Bihar the following shall be substituted,—

“ Special/Additional/Joint/Deputy Secretary
District Magistrate & Collector/Addl.D.M
Registrar, Cooperative Societies
Secretary, Board of Revenue
State Transport Commissioner
Labour Commissioner
Sugar Cane Commissioner
CEO cum Municipal Commissioner, Patna Municipal Corporation
Commissioner, MNREGA
IG Registration
Directors
IG, Prisons & Correctional Services ”

[F. No. 11031/02/2019-AIS-II(B)]

SANDEEP KUMAR SINHA, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 870(E) dated the 08<sup>th</sup> September, 2016 and subsequently amended by the following G.S.R. No. and date:-

<b>Sl.No.</b>	<b>G.S.R. No.</b>	<b>Date</b>
1.	1062 (E)	10.11.2016
2.	1178(E)	27.12.2016
3.	1194(E)	30.12.2016
4.	575(E)	12.06.2017
5.	1382(E)	10.11.2017
6.	1429(E)	17.11.2017
7.	1585(E)	22.12.2017
8.	566(E)	15.06.2018
9.	819(E)	28.08.2018
10.	1124(E)	16.11.2018
11.	1222(E)	19.12.2018
12.	218(E)	13.03.2019
13.	766(E)	09.10.2019
14.	813(E)	30.12.2020